



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष- 2014 - 2015



मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2014–2015

मंत्रालय

माननीय मंत्री	– श्री जयंत मलैया
अपर मुख्य सचिव	– श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे
प्रमुख सलाहकार एवं आयुक्त	– डॉ. राजेन्द्र मिश्रा
प्रमुख सलाहकार	– श्री मंगेश त्यागी
उप सचिव	– श्री सी.बी. पड़वार
अवर सचिव	– श्रीमती अल्का मिश्रा
कार्यपालक निदेशक	– श्री उमेश शर्मा

विषय सूची

	पृष्ठ
अध्याय 1 – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01
अध्याय 2 – राज्य योजना आयोग	06
अध्याय 3 – आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	14
अध्याय 4 – मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद	31

अध्याय-1

विभाग की प्रशासनिक संरचना –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां, निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती हैं :

1. राज्य योजना आयोग
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
3. विभागाध्यक्ष –

1. राज्य योजना आयोग –

राज्य योजना आयोग, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं । राज्य योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है ।

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय –

राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजना बनाना, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना आयोग से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।

9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिकी सांख्यिकी अधिनियम, 1948 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 यथा संशोधित अधिनियम, 2008 का प्रशासन शामिल है
13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
14. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
15. जन अभियान परिषद से सम्बन्धित विषय ।
16. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
17. महाकौशल विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
18. विन्ध्य विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
19. विधान सभा क्षेत्र विकास योजना निधि से संबंधित विषय ।
20. विधायक स्वेच्छानुदान निधि से संबंधित समस्त विषय ।
21. राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियों से संबंधित क्रिया कलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य ।
22. यू.आई.डी.ए.आई – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार नम्बर परियोजना से संबंधित समस्त कार्य ।
23. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।
24. प्रदेश में सांख्यिकी कार्य में समन्वय, उसमें एकरूपता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तथा एक सक्षम सांख्यिकी तंत्र के विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य/विषय ।
25. केन्द्रावर्तित योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण ।
26. जन भागीदारी योजना से सम्बन्धित कार्य ।

4. अधिनियम तथा नियम –

1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
2. मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008
3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 यथा संशोधित अधिनियम 2008
4. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
5. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 संशोधित नियम 1999
6. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
7. मध्यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
8. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995

9. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1999
10. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948)
11. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (वर्ष 2007 तक संशोधित)
12. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991 (वर्ष 2007 तक संशोधित)

5. विभाग के अधीन सेवायें –

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग सेवा ।
2. मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी (राज पत्रित) सेवा
3. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यपालिक सेवा ।
4. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसचिवीय सेवा ।
5. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी चतुर्थ श्रेणी सेवा ।

6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय –

वर्ष 2015–2016 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना शीर्ष	स्वीकृत बजट प्रावधान (2014–15)	पुनरीक्षित अनुमान (2014–15)	वास्तविक व्यय (31–01–15)	प्रस्तावित बजट 2015–16
1. राज्य योजना आयोग					
1	राज्य योजना आयोग का सुदृढीकरण	0.00	-	0.00	0.00
2	विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	500.00	-	150.00	1530.00
3	नवाचार प्रोत्साहन	400.00	-	218.00	400.00
4	जिला नवाचार कोष 13 वें वित्त आयोग	2500.00	-		0.00
5	योजना समीक्षा प्रकोष्ठ	300.00	-	230.00	300.00
योग (1) – राज्य योजना आयोग		3700.00		598.00	2230.00

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय					
आयोजनेत्तर					
(अ)–मांग संख्या–31 शीर्ष– 3454					
1	राज्य की सांख्यिकी अद्योसंरचना को मजबूत करना (13 वां वित्त आयोग)	1000.00	1000.00	225.64	1000.00
2	दीनदयाल अन्त्योदय समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता	05.00	05.00	0.00	05.00
3	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	4954.69	4000.81	2651.24	5396.98
4	जन्म–मृत्यु सांख्यिकी	443.42	317.32	183.31	475.21
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	302.52	178.62	90.34	323.94
योग (अ) – आयोजनेत्तर		6705.55	5501.75	3150.53	7201.13

(ब)-मांग संख्या-60 मुख्य लेखा शीर्ष- 2515					
1	5272-विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता	1848.00	1848.00	853.17	1848.00
	योग (ब) आयोजनेत्तर	1848.00	1848.00	853.17	1848.00
	योग आयोजनेत्तर (अ+ब)	8553.55	7349.75	4003.70	9049.13
1	6562-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	50.00	50.00	0.00	50.00
2	6564-जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढीकरण	50.00	50.00	0.00	50.00
3	8740-जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण	200.00	200.00	12.78	200.00
4	8808-सूचना प्रौद्योगिकी	20.00	20.00	0.00	20.00
5	0512-आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाए	300.00	300.00	0.00	300.00
6	7300 स्व. सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.01	0.00	0.01
7	7383 आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढीकरण	0.05	0.05	0.00	4545.00
8	0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 6612 छटवीं आर्थिक गणना	0.00	624.45	0.00	0.00
9	आधारभूत सर्वेक्षण (बेस लाईन सर्वे)	100.00	100.00	0.00	6000.00
10	6154 राजीव आवास योजना	0.00	95.00	0.00	0.01
11	6266 सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	0.00	02.00	01.20	0.01
स	योग राज्य आयोजना (सामान्य)	720.06	1445.51	13.98	11165.01
मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना					
	सामान्य (60)	11473.00	12000.21	3477.92	11473.00
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (41)	3619.00	3619.00	1680.33	3619.00
	अनुसूचित जाति उपयोजना (64)	2695.00	2823.91	1317.37	2695.00
द	8284- योग मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	17787.00	18443.12	6475.62	17787.00
	जन अभियान परिषद मांग संख्या-31	3315.00	3315.00	1825.00	3000.00
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (41)	1160.00	1160.00	764.00	1300.00
	अनुसूचित जाति उपयोजना (64)	825.00	825.00	625.00	800.00
ई	योग 6270-जन अभियान परिषद	5300.00	5300.00	3214.00	5100.00
	विन्ध्य विकास प्राधिकरण मांग संख्या-31	82.06 627.94	82.06 627.94	10.95 236.68	82.06 627.94

	60—सामान्य				
क	योग योजना 5775	710.00	710.00	247.63	710.00
	महाकौशल विकास प्राधिकरण				
	माग संख्या—31	74.72	74.72	8.34	74.72
	60—सामान्य	635.28	635.28	627.26	635.28
ख	योग योजना 5774	710.00	710.00	635.60	710.00
	बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण				
	माग संख्या—31	71.00	71.00	16.48	71.00
	60—सामान्य	639.00	639.00	509.00	639.00
ग	योग योजना 5110	710.00	710.00	525.48	710.00
	जनभागीदारी योजना		—		
	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5420.00	5420.00	3413.37	7878.10
	60—सामान्य	7730.00	7730.00	3483.50	11892.23
	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	2500.00	2500.00	1599.97	5004.05
घ	योग— जन भागीदारी	15650.00	15650.00	8496.84	24774.38
	6268 यू.आई.डी. के लिए प्रोत्साहन		—		
	माग संख्या—31	3119.00	3119.00	0.00	1060.00
	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1095.00	1095.00	0.00	520.00
	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	780.00	780.00	0.00	420.00
ड	योग— यू.आई.डी. के लिए प्रोत्साहन	4994.00	4994.00	0.00	2000.00
	0801 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य				
	N 1286 सांख्यिकी अनुदान				
	माग संख्या—31	8445.00	8445.00	0.00	2925.00
	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2955.00	2955.00	0.00	1195.00
	64—अनुसूचित जाति उपयोजना	2100.00	2100.00	0.00	880.00
ल	योग— सांख्यिकी अनुदान	13500.00	13500.00	0.00	5000.00
	योग (2) – आर्थिक एवं सांख्यिकी				
	संचालनालय	68634.61	68812.38	23612.85	77005.52
	महायोग (1+2) :-	72334.61	68812.38	24210.85	79235.52

अध्याय-2 राज्य योजना आयोग

विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास करने राज्य के संसाधनों का आंकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाले रुकावटों को दूर करने तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24.10.1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। दिनांक 21.09.2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-9-9/2004/23/यो.आ.सां./भोपाल, दिनांक 27.06.2008 के द्वारा राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है, जिसके अनुसार आयोग का स्वरूप इस प्रकार है :-

राज्य योजना आयोग का स्वरूप

1. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
2. माननीय श्री बाबूलाल जैन	—	उपाध्यक्ष
3. मंत्री, वित्त एवं योजना, म.प्र. शासन	—	सदस्य
4. मंत्री, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	—	सदस्य
5. मंत्री, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	—	सदस्य
6. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	—	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	—	सदस्य
8. प्रमुख सचिव, वित्त, म.प्र. शासन	—	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	—	सदस्य
10. श्री शरद चन्द जैन, इंदौर	—	अंशकालीन सदस्य
11. श्री विनोद मिश्र, जबलपुर	—	अंशकालीन सदस्य
12. श्री पूरन चन्द अणवानी, बालाघाट	—	अंशकालीन सदस्य
13. श्री प्रीतमलाल दुआ, इंदौर	—	अंशकालीन सदस्य
14. श्रीमती सावित्री सिंह, दतिया	—	अंशकालीन सदस्य
15. अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन	—	सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में)।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा मनोनीत निर्धारित शर्तों पर	01	01	-	-
विभागाध्यक्ष						
1.	सदस्य सचिव	संवर्गीय भा.प्र.से वेतनमान	01	01	0	
प्रथम श्रेणी						
2.	अपर सचिव/उप सचिव	37400-67000/- विशेष वेतन	01	01	0	
3.	अवर सचिव	15600-39100	01	01	0	
4.	प्रमुख सलाहकार	67000-79,000/- संवर्गीय वेतनमान	01	01	0	
5.	सलाहकार	37400-67,000/- संवर्गीय वेतनमान	01	01	0	
द्वितीय श्रेणी						
6..	सहायक सलाहकार	15600-39100	04	0	04	रिक्त पदों के विरुद्ध 01 पद मान. उपाध्यक्ष के विशेष सहायक का वेतन आहरित किया जाता है।
7.	लेखाधिकारी	15600-39100	01	01	0	
8.	प्रशासकीय अधिकारी	15600-39100	01	01	0	
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव श्रेणी-1	9300-34800	02	02	0	
10.	निज सहायक श्रेणी-2	9300-34800	03	03	0	
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी-3	5200-20200	02	-	02	
12.	सहायक सां. अधिकारी	9300-34800	03	02	01	भरे हुए पदों में से 01 पद आसासं से प्रतिनियुक्ति पर
13.	अन्वेषक	5200-20200	07	04	03	भरे हुए पदों में से 01 पद वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
14.	लेखापाल	5200-20200	01	01	0	-
15.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	02	02	0	-
16.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	04	02	02	भरे हुए पदों में से 01 पद ऊर्जा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर
17.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	06	05	01	
18.	सुरक्षा गार्ड	5200-20200	04	01	03	3 सुरक्षागार्डों की व्यवस्था सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से की जा रही है।
19.	वाहन चालक	5200-20200	05	05	-	
चतुर्थ श्रेणी						
20.	दफ्तरी	4440-7440	03	02	01	
21.	जमादार	4440-7440	02	02	-	
22.	भृत्य	4440-7440	12	12	-	
23.	स्वीपर	4440-7440	01	01	-	
24.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01	01	-	
25.	पार्टटाईम स्वीपर	-----"-----	01	-	01	
योग			71	53	18	

**राज्य योजना आयोग के गठित विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति
(दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में)।**

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिमाक
1.	प्रमुख सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान (67,000-79,000) अ.भा.से.	01	01	-	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं।
2.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान सुपर टाईम स्केल (सचिव स्तर) अ.भा. से.	01	01	-	लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं।
तृतीय श्रेणी						
3.	रिसर्च एसोसिएट	9300-34800	02	-	02	एक पद संविदा से तथा एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है।
4.	निज सचिव (हिन्दी)	संविदा पर	01	01	-	सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से कलेक्टर रेट पर सेवायें ली जा रही हैं।
5.	निज सहायक (अंग्रेजी)	संविदा पर	02	02	-	
6.	सहायक प्रोग्रामर	संविदा पर	01	01	-	
7.	भृत्य	संविदा पर	04	04	-	
योग			12	10	02	

2. राज्य योजना आयोग के दायित्व –

राज्य योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं :-

1. राज्य के संसाधनों का आंकलन एवं इनके समुचित उपयोग हेतु योजनायें तैयार करना।
2. जिला योजना तैयार करने एवं इसको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना।
3. राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना।
4. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना।
5. योजनाओं की प्राथमिकतायें निर्धारित करना।
6. योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिये गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठकों में भाग लेकर योगदान देना।

3. विभागीय पदोन्नति/समयमान –

राज्य योजना आयोग का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है। मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत 01 सहायक श्रेणी-2 कर्मचारी को सहायक श्रेणी-1 के पद तथा एक वाहन चालक को समयमान स्वीकृत किया गया है।

4. विभागीय जांच –

राज्य योजना आयोग में किसी भी श्रेणी का विभागीय जांच प्रकरण लंबित नहीं है।

5. नियुक्ति/स्थानांतरण –

राज्य योजना आयोग स्तर पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत बैकलॉग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से की गई है।

6. न्यायालयीन प्रकरण –

राज्य योजना आयोग में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने या अन्य कार्यवाही के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

7. संसदीय कार्य/विधि विषयक

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में कोई विधेयक, शून्यकालीन लंबित नहीं है।

8. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ :

8.1 राज्य योजना आयोग :-

राज्य योजना आयोग द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार के दृष्टिकोण पत्र के मद्देनजर एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। वर्ष 2014-15 हेतु रूपये 51444.00 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है, वर्ष 2015-16 के लिए रु. 60805.00 करोड़ की योजना सीमा अनुमानित प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश भी शामिल किया गया है।

राज्य योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना है।

8.2 जिला योजना :-

राज्य योजना आयोग द्वारा समस्त जिलों की वर्ष 2014-15 की जिलेवार योजना सीमा तैयार की गई है। जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग से चर्चा उपरांत रूपये 19058.52 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना की प्रक्रिया में वर्ष 2009 में प्रदेश के 5 जिलों को प्रतिदर्श के रूप में भारत सरकार-राष्ट्र कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत चुना गया। तत्पश्चात् वर्ष 2010 से प्रदेश के 51 जिलों में विकेन्द्रीकृत जिला योजना व्यवस्था लागू की गई है।

8.3 जिला योजना समिति :-

संविधान के 73 वें के संदर्भ में प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है। जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिये राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद-243, य, घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है। समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव हैं। इनके अतिरिक्त लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते हैं। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियाँ गठित कर सकेंगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उपसमितियाँ उनके क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेंगी।

9. वेबसाइट :-

राज्य योजना आयोग से संबंधित जानकारी की वेबसाइट <http://mpplanningcommission.gov.in> / पर प्रदर्शित की जा रही है।

10. नवाचार को प्रोत्साहन :-

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों द्वारा नीति में विभिन्न स्तरों पर सृजनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2007-08 से नवाचार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में नवाचार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्राप्त बजट आवंटन रु. 11.00 करोड़ के विरुद्ध रु. 4.20 करोड़ व्यय हुए। वर्ष 2013-14 में प्राप्त बजट आवंटन रु. 6.00 करोड़ के विरुद्ध रु. 95.00 लाख व्यय किए गए। वर्ष 2014-15 हेतु इस मद में रूपये 400.00 लाख का प्रावधान जिसके विरुद्ध रु. 1.18 लाख नवम्बर-2014 तक व्यय हुआ है।

11. विकेन्द्रीकृत जिला योजना का सुदृढीकरण :-

प्रदेश में यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई है। वित्त वर्ष 2012-13 में इस योजनान्तर्गत रु. 1500.00 लाख के विरुद्ध रु. 122.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इस योजनान्तर्गत रु. 1000.00 लाख के विरुद्ध रु. 149.93 लाख व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 हेतु रूपये 500.00 लाख का प्रावधान जिसमें से 221.08 लाख व्यय किया गया है।

12. राज्य योजना आयोग में विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ (Special Area Cell) का गठन :-

मध्यदेश के बालाघाट एवं उसके सीमावर्ती जिलों में अत्यंत कम जनसंख्या वाले जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहां के मूल निवासी देश की मुख्य धारा से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। जनसंख्या की कमी एवं देश की मुख्य धारा से पृथक ऐसे स्थान विकास की प्राथमिकता की प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के अन्य जनसंख्या बाहूल्य स्थानों से पिछड़ जाते हैं जिसके कारण ऐसे लघु जनसंख्या वाले स्थानों में विकास की गति तथा संसाधनों की उपलब्धता अत्यन्त धीमी

गति से होती है। इन स्थानों को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता है तो वे अपराधिक एवं विघटनकारी तत्वों के लिए आसानी से छुपने का स्थान बना रहता है ऐसे स्थानों पर सुरक्षा एवं प्रशासन को एकत्रित कर त्वरित विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अतः प्रदेश में राज्य योजना आयोग में एक विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ गठित किया गया है जिसमें एक प्रमुख सचिव एवं सचिव श्रेणी के अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

13. जिला नवाचार कोष (13वां वित्त आयोग) :-

राज्य योजना आयोग के अधीन जिला-स्तरीय नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान अनुमोदित किया गया था। वित्त विभाग की अनुमति से समस्त राशि आहरित कर "के" डिपॉजिट में रखी गई थी। जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदित कराया गया है एवं भारत शासन से राशि प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, राशि प्राप्त होने के उपरांत व्यय की कार्यवाही की जावेगी। केन्द्र से राशि प्राप्त न होने से राशि अव्ययित रही है।

14. योजना समीक्षा प्रकोष्ठ :-

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा म.प्र. योजना आयोग में संचालित गरीबी अनुश्रवण तथा नीति सहायता इकाई हेतु योजना समीक्षा प्रकोष्ठ मद अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में रूपये 13.00 लाख का बजट प्रावधान एवं रु. 11.30 लाख की अतिरिक्त राशि पुनर्विनियोजन द्वारा योजना समीक्षा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार प्रकोष्ठ हेतु वर्ष 2012-13 में 300.00 लाख का प्रावधान के विरुद्ध रु. 66.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु. 400.00 लाख आवंटन के विरुद्ध 31 मार्च, 2014 तक रु. 122.35 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 हेतु पुनः रु. 300.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक 30.12.2014 तक लगभग रु. 90.00 लाख का व्यय किए गए हैं।

15. ग्राम का मास्टर प्लान:-

मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 14 के अनुपालन के अनुक्रम में प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान बनाया गया है। ग्राम मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्राम में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही " ग्राम विकास समिति " के माध्यम से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित कर संचालित की गई है।, जिससे कि विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग, अतिगरीब आदि सभी समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम की योजना का निर्माण हो।

विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं सामुदायिक सहभागिता – एक नजर में

- 1.95 करोड़ समुदाय की नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी
- 1250 स्वयं सेवी संस्थायें
- 50000 से अधिक जनप्रतिनिधियों की भागीदारी

- 10400 तकनीकी सहायता दलों में 62400 जमीनी अमलों का प्रक्रिया में योगदान
- 50982 ग्रामों का मास्टर प्लान क्रियान्वयन हेतु तैयार

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया द्वारा ग्राम के समग्र एवं समावेशी विकास हेतु आवश्यक गतिविधियों तथा संसाधनों का आंकलन ग्राम सभा द्वारा स्वयं कर ग्राम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जिससे कि गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बारहमासी पहुंच मार्ग, विद्युत, शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, पंचायत/सामुदायिक भवन, इंटरनेट कियोस्क जैसी आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता हो सकें।

मुख्यतय: निम्नानुसार विभागों से संबंधित गतिविधियों की समुदाय द्वारा मांग की गई है:

क्र.	विभाग	समुदाय द्वारा मांग की गई गतिविधियों की संख्या
1	ग्रामीण विकास विभाग	559592
2	कृषि विभाग	116740
3	पंचायत विभाग	94772
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	68165
5	राज्य शिक्षा केन्द्र	42559
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	30943
7	उद्यानिकी विभाग	25710
8	समाजिक न्याय विभाग	24577
9	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	16552
10	वन विभाग	16220
11	पशु पालन विभाग	14580
12	अन्य विभाग	71054

वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक नियोजन प्रक्रिया द्वारा समुदाय द्वारा मांग की गई गतिविधियों की दिनांक 31 जनवरी 2015 की स्थिति निम्नानुसार है:

1. समुदाय से प्राप्त कुल मांगों की संख्या : 1279857
2. वर्ष 2015-16 हेतु की गई योजना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर गतिविधियों की स्थिति:
 - पूर्ण : 369231
 - प्रगति पर : 165192
 - समुदाय को अब आवश्यकता नहीं : 75429
 - क्रियान्वयन हेतु शेष : 659756
3. विभागों द्वारा वर्ष 2015-16 में क्रियान्वयन किये जाने हेतु चिन्हित गतिविधियों की संख्या : 238711
4. विभागों द्वारा वर्ष 2016-17 में क्रियान्वयन किये जाने हेतु चिन्हित गतिविधियों की संख्या : 154157

उक्तानुसार ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत प्राप्त गतिविधियों का क्रियान्वयन विभागों द्वारा निर्धारित वर्षों में किया जाना है।

16 आधार नंबर परियोजना:

प्रदेश में आधार इनरोलमेंट हेतु नोडल विभाग योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। प्रदेश में आधार इनरोलमेंट का कार्य वर्ष 2009-10 में स्टेंट रजिस्ट्रार (आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण) के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुरूप 725 लाख निवासियों का आधार हेतु इनरोलमेंट किया जाना है।

वर्तमान में 7.25 करोड़ जनसंख्या की तुलना में 5.28 करोड़ लोगों के आधार नामांकित किए जा चुके हैं। इसमें से 4.86 करोड़ को आधार नम्बर जारी कर दिया गया है।

अध्याय – 3

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व :

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है। राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश क्रमांक एफ-19-124/2009/1/4, दिनांक 3-11-2009 द्वारा सांख्यिकी गतिविधियों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन एवं राज्य में सांख्यिकी समन्वय के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-10-6/08/23/योआसा भोपाल दिनांक 31.03.2008 द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण विषयक कार्य राज्य योजना आयोग के स्थान पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सौंपा गया। इसी प्रकार वर्ष 2009 से जन भागीदारी योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा किया जा रहा है।

राज्य शासन ने आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व भी सौंपा है, इसके साथ ही साथ आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह पंजीयन का दायित्व भी सौंपा गया है उपरोक्त के परिपालन में संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीयन तथा विवाह पंजीयन का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों के माध्यम से कराया जा रहा है।


3. संचालनालय के प्रमुख कार्य :

1. राज्य की अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इससे संबंधित प्रकाशन तैयार करना।
2. राज्यीय आय के आधार वर्ष 2004-05 स्थिर एवं प्रचलित भावों पर सकल एवं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना।
3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण तैयार करना।
4. गणना एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य।
5. जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य।
6. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के तहत विवाह पंजीयन कार्य
7. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य।
8. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना।
9. समाजार्थिक विकास के अन्तर्राज्यीय, जिला एवं जनपदवार संकेतक तैयार करना।

10. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की गणना ।
11. राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी सांख्यिकी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जांच एवं परीक्षण करना है ।
12. राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियों से संबंधित क्रिया कलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य करना है।
13. केन्द्रावर्तित योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण।
14. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर सांख्यिकी का संकलन (BSLLD)
15. 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने संबंधि कार्य।
16. राज्य सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना का कार्य।

4. विभागीय संरचना :

संचालनालय, संभागीय तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सेटअप



संचालनालय, संभाग/जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर तथा अन्य विभागों में
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमले का विवरण निम्नानुसार है

(जनवरी 2015 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
राजपत्रित प्रथम श्रेणी						
1.	आयुक्त	PB-4 Rs. 37400-67000+Rs. 10000	01	00	01	
2.	अपर संचालक	PB-4 Rs. 37400-67000+Rs. 8700	01	01	00	
3.	संयुक्त संचालक	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 7600	11	11	00	01 निलम्बित
4.	उप संचालक/ जिला योजना अधिकारी	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 6600	46	08	38	01 वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर प्रति. पर, 01 अधि. निलम्बित
5.	चीफ प्रोग्रामर	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 6600	01	01	00	
द्वितीय श्रेणी अधिकारी						
1.	जिला सांख्यिकी अधिकारी/ सहा. संचालक	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	68	50	18	
2.	प्रोग्रामर	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	04	01	03	
3.	लेखाधिकारी	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	01	01	00	
4.	सहायक संचालक (प्रशा.)	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200	01	00	01	
5.	वरिष्ठ सहायक	निज PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200	01	00	01	
तृतीय श्रेणी						
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	340	214	126	06 प्रति. पर पदस्थ
2.	अन्वेषक/खण्ड डस्तर अन्वेषक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400 (01.04.06 से PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800)	360	127	233	02 प्रति. पर पदस्थ
3.	संगणक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2100	06	06	00	06 पद सांख्येतर
4.	सहायक प्रोग्रामर	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200 (01.04.06 से PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600)	14	02	12	
5.	अधीक्षक	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	04	03	01	
6.	सहायक ग्रेड-1	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	09	04	05	
7.	सहायक ग्रेड-2	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400	64	40	24	01 प्रति. पर पदस्थ
8.	सहायक ग्रेड-3	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	128	77	51	
9.	निज सहायक	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	01	01	00	

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमांक
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400	03	01	02	
11.	शीघ्रलेखक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	13	13	00	
12.	स्टेनोटाइपिस्ट	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	19	04	15	
13.	पुस्तकाध्यक्ष	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	01	00	01	
14.	वरिष्ठ कलाकार	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3200 (01.04.06 से PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600)	01	01	00	01 सांख्येतर
15.	कलाकार	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3200 (01.04.06 से PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400)	01	01	00	01 सांख्येतर
16.	पंचरूम सुपरवाइजर	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	01	00	01	
17.	वाहन चालक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	40	27	13	
चतुर्थ श्रेणी						
1.	सुपरवाइजर	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	01	01	00	
2.	दफ्तरी	IS-1 Rs 4440-7440+Rs. 1400	03	02	01	
3.	भृत्य	IS-1 Rs 4440-7440+Rs. 1300	137	98	39	01 सांख्येतर
आकस्मिकता निधि						
1.	स्वीपर कम फर्शा	कलेक्टर रेट	12	12	00	10 सांख्येतर
2.	चौकीदार	कलेक्टर रेट	02	02	00	
3.	वाहन चालक	कलेक्टर रेट	05	05	00	03 संविदा आधार पर
योग			1300	714	586	

संचालनालय स्तर पर गठित संभाग/ईकाईयां

संचालनालय स्तर पर गठित संभाग/ईकाईयों का कार्य पदस्थ संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा लेखा परीक्षण
2	राज्यीय आय	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना 2. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
3	औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण 2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण तथा औद्योगिक अनुसूचियों की परीनिरीक्षा
4	आर्थिक विश्लेषण	1. राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा तैयार करना 2. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास संकेतांक तैयार करना
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना 2. आर्थिक गणना
6	राज्यीय सर्वेक्षण एवं जाब वर्क संभाग	1. शासन के कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
7	सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना 2. विभागीय योजनाएं तैयार करना 3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिये नामांकन एवं अनुवर्तन कार्यवाही
8	सामाजिक एवं विविध सांख्यिकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्यायपालिका, पुलिस, अपराध, श्रम रोजगार तथा विविध सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण 2. मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की गणना
9	पूंजी निर्माण	1. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना 2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण
10	लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययकों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण 2. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण
11	मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा तथा बाजार समाचार अध्ययन

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
12	सूचना प्रौद्योगिकी एवं समंक सारणीयन	1. समंकों का कम्प्यूटरीकरण 2. संचालनालय के प्रकाशनों पर कम्प्यूटर पर संधारण
13	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 एवं नियम 1999 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 2. मृत्यु के कारणों का अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र 3. विवाह पंजीयन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विवाहों का पंजीयन कराना
14	पुस्तकालय	1. आर्थिक, सांख्यिकी तथा सामाजार्थिक सांख्यिकी से संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रखरखाव
15	सांख्यिकी प्रकाशन	1. राज्य स्तरीय नियमित एवं तदर्थ सांख्यिकी प्रकाशनों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना
16	जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श देना तथा तकनीकी निरीक्षण 2. जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने के उपाय सुझाना
17	कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन संभाग	1. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 3. जनभागीदारी योजना उक्त तीनों योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना।
18	विकास प्राधिकरण संभाग	1. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण 2. विंध्य विकास प्राधिकरण 3. महाकौशल विकास प्राधिकरण

1. प्रशासन :

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिनस्थ 7 संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में संयुक्त संचालकों को (प्रथम श्रेणी) एवं 39 जिलों में जिला योजना अधिकारी, (प्रथम श्रेणी) तथा 5 जिलों में द्वितीय श्रेणी अधिकारी कार्यालय प्रमुख घोषित है।

1.1 विभागीय पदोन्नतियां :

दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में, तृतीय श्रेणी संवर्ग में 08 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है, तथा विभागीय सीमित परीक्षा के माध्यम से 03 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं 08 अन्वेषक/खण्डस्तर अन्वेषक के पदों पर नियुक्ति दी गई है। विभाग द्वारा 35 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को सहायक संचालक/जिला सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। व्यापम के माध्यम से 100 अन्वेषकों की परीक्षा दिनांक 11.01.2015 को आयोजित की गई।

1.2 विभागीय जांच :

संचालनालय स्तर पर 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में 01 विभागीय जांच प्रकरण प्रचलन में है ।

1.3 स्थानांतरण :

दिनांक 1.01.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि में प्रथम श्रेणी अधिकारी – निरंक, द्वितीय श्रेणी अधिकारी – 06, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक– 02, अनुसचिवीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– निरंक, के स्थानांतरण किये गये हैं ।

1.4 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 13 न्यायालयीन प्रकरण दायर हुये हैं । 08 प्रकरणों में जवाबदावा प्रेषित किया जा चुका है, एवं 05 प्रकरण में जबाबदाबा प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रचलन में है । कुल 54 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

1.5 संसदीय एवं विधि विषयक कार्यों की जानकारी :

दिनांक 31.12.2014 तक 26 विधानसभा प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें 16 अतारांकित एवं 10 तारांकित प्रश्न थे। प्राप्त सभी 26 विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये हैं। कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर लंबित नहीं है।

2. राज्यीय आय

राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय) के अनुमान :

राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन करने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रावधिक, त्वरित एवं अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर भावों पर तैयार किये जाते हैं । राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गत श्रंखला (1999–2000) को नवीन श्रंखला आधार वर्ष (2004–05) से प्रतिस्थापित किया गया है ।

वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.08 प्रतिशत की वृद्धि स्थिर (2004–05) भावों पर आकलित की गई। वर्ष 2012 – 13 (त्वरित) के रू. 214741 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) रू. 238526 करोड़ अनुमानित है । वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11.31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो कि वर्ष 2012–13 के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू. 188480 करोड़ की तुलना में 209806 करोड़ अनुमानित है।

वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) के लिये प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2004–05) भावों पर रू 27917 आंकलित की गयी है जो गत वर्ष 2012–13 (त्वरित) रू 25463 की तुलना में 9.64 प्रतिशत अधिक है । प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012–13 (त्वरित) के रू. 44989 से बढ़कर वर्ष 2013–14 (अग्रिम अनुमान) में रू. 54030 अनुमानित है। यह वृद्धि 20.10 प्रतिशत रही है ।

4. औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी :

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा चयनित 178 औद्योगिक इकाईयों से आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2014-15 का माहवार आकड़े एकत्रित कर सूचकांक तैयार करना।

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 की केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा चयनित 374 औद्योगिक इकाईयों का सर्वेक्षण कार्य संपादित करना।

विद्युत उत्पादन उपयोग एवं उपभोक्ता समंक की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जिलेवार जानकारी वर्ष 2014-15 मध्यप्रदेश विद्युत मंडल जबलपुर/इन्दौर/भोपाल से प्राप्त कर सारणीयन पश्चात समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों को उनके विभिन्न प्रकाशनों एवं पुस्तकालय हेतु प्रदान करना।

राज्य में चुने हुए उद्योग यथा सूत एवं कपड़ा, सीमेंट, शक्कर, वनस्पति घी तथा प्रमुख एवं गौण खनिज के उत्पाद एवं मूल्य की वर्ष 2014-15 की जिलेवार जानकारी संबंधित विभिन्न संस्थानों एवं विभागों से प्राप्त कर आकड़ों के सारणीयन पश्चात संचालनालय के विभिन्न प्रकाशनों हेतु तथा समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों को जिलेवार जानकारी प्रदाय करने का कार्य।

4. आर्थिक विश्लेषण संभाग :

आर्थिक विश्लेषण संभाग से कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों को प्रकाशित किया जाता है। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन एक बजटीय प्रकाशन है। वर्ष 2014-15 का आर्थिक सर्वेक्षण विधान सभा के बजट सत्र फरवरी 2015 में प्रस्तुत किया जाना है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की स्थिति पर प्रकाश डालता है। अंतर-राज्यीय समाजार्थिक विकास संकेतांक प्रकाशन समाजार्थिक मापदण्डों के आधार पर संकेतांक के माध्यम से विकास को दर्शाता है। मध्यप्रदेश के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक समाजार्थिक विकास को इंगित करता है। मध्यप्रदेश का जनपद स्तरीय समाजार्थिक विकास संकेतांक प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर ज्ञात कराता है।

मध्यप्रदेश की शासकीय डायरी में प्रयुक्त सांख्यिकी आंकड़े जनप्रतिनिधियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों आदि के लिये अति-महत्वपूर्ण है। औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता एवं समय-समय पर मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने में सहायक होते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक/थोक भाव सूचकांकों का संधारण राज्य की कई योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अतः आर्थिक विश्लेषण संभाग का दायित्व विकास से संबंधित आधार भूत समकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन, करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक विश्लेषण संभाग का है।

5. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संभाग:

5.1 गणना एवं सर्वेक्षण कार्य :

प्रति वर्षानुसार 1 जनवरी 2014 से राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 71 वें दौर का कार्य राज्य में प्रारम्भ किया गया । इस सर्वेक्षण में 3-3 माह के 2 उपदौरों को मिलाकर सर्वेक्षण का मैदानी कार्य 30 जून 2014 तक पूर्ण किया गया। उक्त अवधि में 01.04.2014 से 30 जून 2014 की समयअवधि में द्वितीय उपदौर के क्षेत्रीय कार्य को सम्पादित किया गया। यह सर्वेक्षण मुख्यतः सामाजिक उपभोग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर पर किया गया। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य में 250 ग्रामीण तथा 192 नगरीय कुल 442 न्यादर्शों का सर्वेक्षण किया गया है, कार्य में एकरूपता एवं गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 7 संभागों के लिए परिनिरीक्षा शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर परिनिरीक्षा कार्य के साथ आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक 72 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया, जो घरेलू पर्यटन पर हुए व्यय पर आधारित है। उक्त सर्वेक्षण भी चार उपदौरों में विभाजित है। प्रत्येक दौर की अवधि 3 माह की निश्चित है। उक्त सर्वेक्षण में कुल 700 न्यादर्शों का सर्वेक्षण किया जाना है जिसके अंतर्गत 388 न्यादर्श ग्रामीण एवं 312 न्यादर्श नगरीय है। प्रथम उपदौर में माह जुलाई से सितम्बर तक कुल 172 न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एवं वर्तमान में द्वितीय उपदौर माह अक्टूबर से दिसम्बर तक की अवधि में 172 न्यादर्शों के आवंटन में से 112 न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण कर लिया गया है। शेष तृतीय उपदौर जनवरी 2015 से प्रारंभ होकर मार्च 2015 तक की समयावधि में आवंटित 172 न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

72वें दौर के मैदानी कार्य के अतिरिक्त 66वें दौर तक का डाटा एन्ट्री, वेलीडेशन कार्य संभाग स्तर पर पूर्ण किया गया है। 66वें दौर की सेन्ट्रल एवं स्टेट सेम्पल की डाटापूलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। 67वें दौर से 71वें दौर की डाटा एन्ट्री का कार्य संभाग स्तर पर किया जा रहा है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में चतुर्थ रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पूर्ण किया गया। राज्य में 420 ग्रामीण, 284 नगरीय, इस प्रकार कुल 704 न्यादर्शों का चयन कर सर्वेक्षण किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, द्वारा चतुर्थ रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण का प्रतिवेदन भी जारी किया जाना है।

इसी क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा पांचवे दौर के सर्वेक्षण के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को एक बार फिर से रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव पत्र प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत संभवतः 1 जनवरी 2015 से राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कार्य किया जाना संभावित है।

माह सितम्बर 2014 में संचालनालय स्तर पर आदर्श परिनिरीक्षा शिविर का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत समस्त 7 संभागों के 71वें एवं 72 दौर की सर्वेक्षित अनुसूचियों की परिनिरीक्षा की गई एवं त्रुटि सुधार कर अनुदेश प्रदान किये गये।

72वें दौर की सर्वेक्षित अनुसूचियों की अंतिम परिनिरीक्षा हेतु सभी संभागों में शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में केन्द्रीय एवं राज्य न्यादर्शों में समकों की गुणवत्ता हेतु संयुक्त निरीक्षण का कार्य भी किया जा रहा है।

5.2 आर्थिक गणना :

भारत में 6वीं आर्थिक गणना 2012-13 का सर्वेक्षण से संबंधित कार्य दिसम्बर, 2012 से जून-2013 के मध्य संपादित किया जाना था। भारत सरकार के निर्देशानुसार छठवीं आर्थिक गणना का संचालन सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को इस कार्य हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश में 6वीं आर्थिक गणना 2012-13 का सर्वेक्षण से संबंधित कार्य 15 मई से 30 जून 2013 के मध्य सम्पन्न किया गया। क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करने के पश्चात भरी हुई अनुसूचियों में NIC कोडिंग, अनुसूचियों की स्कूटनी, भरी हुई अनुसूचियों की जांच आदि का कार्य पूर्ण किया जाकर भारत सरकार के निर्देशानुसार भरी हुई अनुसूचियों के बॉक्स फरीदाबाद स्केनिंग हेतु भेजे गये प्रथम चरण में स्कैनिंग उपरांत प्राप्त त्रुटियों का निराकरण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला कार्यालयों के द्वारा किया जा रहा है।

आर्थिक गणना के त्वरित/अनन्तिम गणना परिणाम में प्रदेश में कुल 20.94 लाख उद्यम प्राप्त हुए हैं। कुल उद्यमों का ग्रामीण तथा नगरीय प्रतिशत विभाजन क्रमशः 52.08 तथा 47.92 प्रतिशत है। कुल उद्यमों में से 43.96 प्रतिशत उद्यम ऐसे हैं जो निवास के बाहर निश्चित ढांचे वाले हैं। कुल उद्यमों में से 3.05 प्रतिशत उद्यम हथकरघा/हस्तशिल्प गतिविधि वाले उद्यम प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त उद्यमों में 43.22 लाख कार्यरत व्यक्ति हैं जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 47.21 प्रतिशत व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्र में 52.79 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश में कुल कार्यरत व्यक्तियों में से है 42.52 प्रतिशत वैतनिक के रूप में व्यक्ति कार्यरत है, जबकि 57.48 प्रतिशत व्यक्ति अवैतनिक रूप से कार्यरत है। मध्यप्रदेश में कुल 43.22 लाख कार्यरत व्यक्तियों में से 23.42 प्रतिशत महिलाएं हैं।

छठवीं आर्थिक गणना में प्राप्त उद्यमों की संख्या त्वरित/अनन्तिम

जनकारी	ग्रामीण	नगरीय	कुल
(i) उद्यमों की कुल संख्या	1091111 (52.08)	1003758 (47.92)	2094869(100.00)
निवास के बाहर निश्चित ढांचे वाले उद्यम	402668 (43.73)	518172 (56.27)	920840 (100.00)
निवास के बाहर बिना निश्चित ढांचे वाले उद्यम	185729 (53.56)	161026 (46.44)	346752 (100.00)
(c) निवास के भतर उद्यम	502717 (60.77)	324560 (39.23)	827277 (100.00)
हथकरघा/हस्तशिल्प उद्यमों की कुल संख्या	30543 (47.76)	33409 (52.24)	63952 (100.00)
8 या उससे अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों की कुल संख्या	7499 (38.02)	12223 (61.98)	19722 (100.00)

छठवीं आर्थिक गणना में प्राप्त उद्यमों कार्यरत व्यक्तियों की संख्या त्वरित/अनन्तिम

जनकारी	ग्रामीण	नगरीय	कुल
(i) उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या	2040578 (47.20)	2281821 (52.80)	4322399(100.00)
(ii) पुरुष कामगारों की कुल संख्या	1464240 (44.23)	1845728 (55.77)	3309968(100.00)
(iii) महिला कामगारों की कुल संख्या	576338 (56.92)	436093 (43.08)	1012431(100.00)
(iv) वैतनिक पुरुष कामगारों की कुल संख्या	520258 (37.85)	853620 (62.15)	1373878(100.00)
(v) वैतनिक महिला कामगारों की कुल संख्या	245528 (52.91)	218485 (47.09)	464013 (100.00)
(vi) अवैतनिक पुरुष कामगारों की कुल संख्या	943982 (48.76)	992108 (51.24)	1936090(100.00)
(vii) अवैतनिक महिला कामगारों की कुल संख्या	330810 (60.40)	217608 (39.60)	548418(100.00)

हथकरघा/हस्तशिल्प गतिविधि वाले उद्यमों की जानकारी पहली बार इस गणना में एकत्रित की गई है, ताकि कलाकारों के अर्थव्यवस्था में बढ़ते योगदान का भी आकलन किया जा सके।

पांचवी आर्थिक गणना-2005 की तुलना में लगभग 23.63 प्रतिशत की वृद्धि छठवीं आर्थिक गणना में अवलोकित हुई। कुल कार्यरत व्यक्तियों की पांचवी आर्थिक गणना-2005 से 17.92 प्रतिशत की वृद्धि छठवीं आर्थिक गणना में हुई है।

5.3 बिजनेस रजिस्टर तैयार करना :

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश राज्य में उद्यमिक क्रियाकलापों से संबंधित एक बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। यह गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों में प्रारंभ की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में बिजनेस रजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित 7 प्रमुख अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	निमय/अधिनियम	संबंधित पंजीकरण अभिकरण
1.	कंपनी अधिनियम 1956	कंपनी रजिस्ट्रार
2.	कारखाना अधिनियम 1948	चीफ इंस्पेक्टर आफ फेक्टरीज
3.	दुकान एवं व्यवस्थापन अधिनियम	लेबर कमिश्नर
4.	समिति पंजीकरण अधिनियम	रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसायटीज
5.	सहकारी समिति अधिनियम	पंजीयक सहकारी संस्थाएँ
6.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
7.	उद्योग संचालनालय/जिला उद्योग	उद्योग संचालनालय जिला उद्योग केन्द्र

बिजनेस रजिस्टर की जानकारी के बेव आधारित आनलाईन संकलन करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश की सहायता से एक साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में प्रथम चरण में 7 नियम/अधिनियमों के तहत प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:-

कारखाना अधिनियम 1948	दुकान व्यवस्थापन अधिनियम	कम्पनी अधिनियम 1956	समिति पंजीकरण अधिनियम	सहकारी समिति अधिनियम	उद्योग संचालनालय /जिला उद्योग केन्द्र	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	योग
10664	658046	19468	48389	26318	13749	668	903302

बिजनेस रजिस्टर का सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य दिनांक 01 जून 2014 से प्रारंभ किया गया है। सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य एवं ऑनलाईन डाटा फिडिंग का कार्य दिनांक 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

6. समन्वय एवं प्रशिक्षण :

6.1 प्रो. पी. सी. महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को "सांख्यिकी दिवस" के रूप में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के यू.एन.डी.पी. हॉल में मनाया गया । भारत शासन द्वारा निर्देशित "**Service Sector Statistics**" थीम पर इस कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, द्वारा किया गया । इस अवसर पर विभाग के अधिकारी, एवं संचालनालय से समस्त संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा अधिनस्थ कार्यालयों से अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुये। सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

6.2 प्रशिक्षण :

1. केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के 22 वें सम्मेलन में विभाग की ओर से आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा शिमला में भाग लिया गया ।
2. विभागीय अमले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत ई गवर्नेंस विषयक प्रशिक्षण में संचालनालय से 24 अधि./कर्म. द्वारा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषयक प्रशिक्षण में जिला कार्यालय के 30 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया ।
3. दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2014 की अवधि में **Information Technology for Data Management and Analysis** विषय पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में संचालनालय से एक प्रोग्रामर तथा एक सहायक प्रोग्रामर को नामांकित किया गया ।
4. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में वर्ष 2014 में **Social Statistics** विषयक प्रशिक्षण में सागर से जिला योजना अधिकारी एवं संचालनालय स्तर से दो सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया ।
5. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में वर्ष 2014 में **Sample Survey** विषयक प्रशिक्षण में इन्दौर से जिला योजना अधिकारी एवं संचालनालय स्तर से उप संचालक द्वारा भाग लिया गया ।
6. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में वर्ष 2014 में **Index Number and Price Statistics** विषयक प्रशिक्षण में संचालनालय स्तर से एक संयुक्त संचालक एवं एक सहायक संचालक द्वारा भाग लिया गया ।
7. राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में वर्ष 2014 में **Data Dissemination and Data Archiving** विषयक प्रशिक्षण में संचालनालय स्तर से तीन सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया ।
8. राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल में संसदीय प्रक्रिया से संबंधित रिफ्रेसर कोर्स हेतु विभाग से अवर सचिव एवं सहा.ग्रेड-2 को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया ।
9. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन, द्वारा वर्ष 2014 की अवधि में यूनिकोड तथा डिजिटल सिग्नेचर विषयक मंत्रालय में आयोजित प्रशिक्षण हेतु संचालनालय एवं जिला कार्यालयों के 25 अधिकारियों को नामांकित किया गया ।

7. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण :

राज्य शासन के वार्षिक बजट पर आधारित आय-व्यय संक्षेप में एवं Economic & purpose Classification of State Govt. Budget वर्ष 2012-13 (लेखा) एवं वर्ष 2013-14 (पुनरिक्षित अनुमान) तैयार कर प्रकाशित किये गये।

राज्य शासन के बजट वर्ष 2014-15 का सार आय-व्यय संक्षेप में माह जुलाई 2014 में तैयार कर विधानसभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

8. मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार :

मध्यप्रदेश में स्थित कृषि उपज मंडियों से मासिक कृषि पदार्थों की आवक-जावक एवं थोक भाव वर्ष 2013-14 के लिए मासिक "ग" पत्रक की जानकारी नियमित रूप से संकलन का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में कृषि विपणन प्रकाशन तैयार करने हेतु जानकारी संकलित की जा रही है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं समंक सारणीयन :

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सारणीयन संभाग द्वारा वर्तमान में स्थायी आधार समंको की डाटा एन्ट्री वेलिडेशन एवं टेबूलेशन, डी.टी.पी. संबंधी कार्य, प्रशासन संभाग के वेतन शाखा के पे-बिल, वेतन पर्ची, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का फार्म क्रमांक 16 (इन्कम टेक्स), जी.पी. एफ./डी.पी.एफ., जिलेवार बजट आवंटन का कार्य, सूचकांक तैयार करने हेतु प्रोसेसिंग संचालनालय की वेबसाइट का निर्माण, प्रदर्शन एवं आवश्यकता अनुसार अपडेशन का कार्य, कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना, ई-मेल अकाउंट का परिचालन संचालनालय में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अधिकतम उपयोग हेतु विभिन्न परियोजनाएं बनाना एवं हार्डवेयर क्रय करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना इत्यादि।

बिजनेस रजिस्टर हेतु साफ्टवेयर का निर्माण एन.आई.सी. के सहयोग से तैयार किया गया था। 01 जून, 2014 से उक्त साफ्टवेयर को सभी जिलों में लागू किया गया है जिसमें सर्वे के साथ साथ ऑनलाईन डाटा एन्ट्री कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में अभी तक साफ्टवेयर में लगभग 47000 इकाइयों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी संभाग के माध्यम से संचालनालय के समस्त संभागों एवं जिला कार्यालयों को साफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से संचालनालय में तकनीकी समिति का गठन किया गया। वर्तमान में आनलाईन साफ्टवेयर उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिकतम सुनिश्चित करने हेतु संचालनालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे औद्योगिक सर्वेक्षण, तथा कर्मचारी गणना इत्यादि कार्य हेतु भी साफ्टवेयर निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

10. वेबसाइट :

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, प्रपत्र एवं नियमों इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है। विभाग की वेबसाइट का Address : <http://www.des.mp.gov.in> है।

11. जीवनांक सांख्यिकी :

11.1 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य :

राज्य में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 तथा राज्य नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य पंजीयक का उत्तरदायित्व सौंपा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, केन्टोनमेन्ट बोर्ड स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। जन्म-मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन शत-प्रतिशत करने के उद्देश्य से पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। विगत वर्षों में जन्म पंजीयन हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जहां राज्य में जन्म का पंजीयन वर्ष 2005 में 52.38 प्रतिशत था यह बढ़कर वर्ष 2013 में 82.09 प्रतिशत (प्राव.) एवं मृत्यु पंजीयन का प्रतिशत वर्ष 2005 में 51.68 था जो बढ़कर वर्ष 2013 में 60.36 प्रतिशत (प्राव.) रहा। जन्म-मृत्यु पंजीयन के स्तर में वृद्धि करने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2014 को आयोजित की गई।

11.2 विवाह पंजीयन :

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2008 के द्वारा ग्राम पंचायत/ नगर पालिका/नगर निगम/केन्टोनमेन्ट बोर्ड को विवाह पंजीयन इकाई घोषित किया है । दिनांक 23 मई 2009 की अधिसूचना अनुसार नियम 5 (1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिये सचिव, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिये नगर पंचायत /नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी एवं छावनी क्षेत्र (कन्टोनमेंट बोर्ड) के लिये प्रशासकीय अधिकारी को विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है । नियुक्त रजिस्ट्रारों द्वारा पंजीयन का कार्य किया जाता है।

11.3 जन्म, मृत्यु तथा विवाह प्रमाण पत्र लोकसेवा गारंटी योजना अंतर्गत सभी जिलों में जन्म मृत्यु पंजीयन सेल की स्थापना की गई। दिनांक 12.12.2014 से ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

12. सांख्यिकी प्रकाशन :

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा संचालनालय स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न सांख्यिकी प्रकाशनों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तैयार कर प्रकाशित किया जाता है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) संचालनालय स्तरीय प्रकाशन

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण
2. मध्यप्रदेश का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण
3. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
4. मध्य प्रदेश का आय-व्ययक संक्षेप में
5. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
6. जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान
7. मध्यप्रदेश के प्रमुख आंकड़े
8. मध्यप्रदेश एट ए ग्लांस
9. मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप (द्विवार्षिक)
10. अन्तरराज्यीय समाजार्थिक विकास के संकेतक (द्विवार्षिक)

11. जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतक
12. मध्यप्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान
13. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
14. जनपद स्तरीय समाजार्थिक विकास संकेतांक
15. मध्य प्रदेश में कृषि विपणन

(ब) जिला स्तरीय प्रकाशन :

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका
2. जिले के प्रमुख आंकड़े
3. जनपद के प्रमुख आंकड़े
4. जिला विकास पुस्तिका

13. जिला सांख्यिकी तंत्र संभाग :

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र एफ-ए 1-13-एक (1) दिनांक 6 सितम्बर 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुये राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियों से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अधीन किया गया है। मध्य प्रदेश के जिलों में कार्यरत जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय तथा संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के संचालन तथा जिला स्तर के सांख्यिकी सुदृढीकरण तथा प्रतिवर्ष संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों द्वारा जिला कार्यालय का तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रतिवेदन के सुझावों के आधार पर जिला सांख्यिकी कार्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त जिलों द्वारा किये कार्य आवंटन की मॉनीटरिंग जिलों के सांख्यिकी श्रंखलाओं के वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं जिलों द्वारा प्रकाशित जिला विकास पुस्तिका प्राप्त करना। सूचना के अधिकार अधिनियम तथा सिटीजन चार्टर से संबंधित जानकारी का राज्य स्तर पर संकलन कर प्रतिमाह राज्य शासन को प्रेषित करने का कार्य जिला सांख्यिकी तंत्र द्वारा किया जाता है।

14. कार्यक्रम क्रियान्वयन संभाग :

14.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है। वर्तमान में योजनान्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र के मान से प्रत्येक मान. विधायकों को 77.00 लाख रुपये की लागत के पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यो को क्रियान्वित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को कार्यो की अनुशंसा कर सकेंगे। इस योजना में वर्ष 2013-14 में राशि रु. 177.87 करोड़ आवंटित किये गये है। 2014-15 में रु. 177.87 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण इस प्रकार है :-

(31 जनवरी 2015 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
2013-14	11038	3388	5552	2087	13
2014-15	4574	729	2865	978	02

14.2 जनभागीदारी योजना :

योजना के तहत वित्त वर्ष 2013-14 में जिलो को प्रदाय आवंटन रू. 177.20 करोड़ में से फरवरी 2014 तक रू.158.56 करोड़ व्यय हुए । वर्ष 2014-15 में जिलो को आवंटित राशि रू. 156.50 करोड़ के विरुद्ध फरवरी 2015 तक रू. 84.91 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं ।

(31 जनवरी 2015 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर
2013-14	2380	940	1440
2014-15	2027	569	1458

14.3 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :

प्रदेश में, वर्ष 2013-14 एवं 31 जनवरी 2015 तक योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है ।

(31 जनवरी 2015 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (लाख रूपये में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर
2013-14	7833.34	3806	1445	2361
2014-15	245133.15	98567	90203	8364

16. विकास प्राधिकरण :

राज्य में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत सागर संभाग के सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, एवं ग्वालियर संभाग के दतिया जिले को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार विन्ध्य क्षेत्र के विकास हेतु विन्ध्य विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, डिण्डौरी एवं उमरिया जिलों को सम्मिलित किया गया है, तथा तीसरा महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन कर जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, कटनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा जिलों को सम्मिलित किया गया है । विकास प्राधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत जिले के विकास कार्य किये जाते हैं ।

अध्याय -4

म.प्र. जन अभियान परिषद्

स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा माह मार्च 1996 में एक स्वायत्त शासी संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस संस्था से शासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई।

तदनुसार म.प्र. राज्य में जन अभियान परिषद् का गठन किया जाकर दिनांक 04/07/1997 को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीस के अंतर्गत पंजीयन कराया गया। संस्था का पंजीयन क्रमांक 4964/97 हैं। संस्था की शासी निकाय की गत बैठक दिनांक 14 मई 2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है।

1. उद्देश्य :-

जन अभियान परिषद् के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग कर स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा मध्यप्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं को मजबूत कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, विकास के नये माडलों को विकसित करना तथा उन्हें विस्तारित होने के अवसर प्रदान करना है। प्रदेश में कई संस्थाएँ छोटे रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं किन्तु उनकी कोई पहचान और पहुँच नहीं है। ऐसी संस्थाओं का विकास करना जन अभियान परिषद् का मुख्य उद्देश्य है।

2. म.प्र. जन अभियान परिषद् का स्वरूप :-

1. शासी निकाय :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| अध्यक्ष | — | मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश |
| उपाध्यक्ष | — | मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित मध्यप्रदेश शासन के मंत्री |
| उपाध्यक्ष दो पद | — | मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित दो अशासकीय व्यक्ति |
| सदस्य | — | निम्नलिखित विभागों के मंत्रीगण शासी निकाय के सदस्य होंगे :- |
| (1) | | स्कूल शिक्षा |
| (2) | | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| (3) | | महिला एवं बाल विकास |
| (4) | | पर्यावरण |
| (5) | | पंचायत एवं ग्रामीण विकास |
| (6) | | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| (7) | | वित्त |
| (8) | | सभापति कार्यकारिणी सभा |

शासन द्वारा मनोनित प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के 15 प्रतिनिधि, जिनमें से कम से कम 3 महिलाएँ एवं 3 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संभाग से कम से कम एक स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व शामिल है।

3. कार्यकारिणी सभा :

म.प्र. जन अभियान परिषद् के संचालन हेतु गठित कार्यकारिणी सभा के सभापति मुख्य सचिव है। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त एवं पांच स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। कार्यकारिणी सभा, शासी निकाय मण्डल के अभिमत को क्रियान्वित करने के लिये सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के उपयोग में सक्षम है। शासन द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य है।

3. म.प्र. जन अभियान परिषद् के दायित्व :-

- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये एक सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना। स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग, क्षमता विकास और सशक्तिकरण का प्रयास करना। इसके लिये संस्थाओं की जानकारी एकत्रित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को एक ही स्थान पर आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन परियोजनाओं, उनके क्रियान्वयन, प्रभाव मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध करना।
- राज्य शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विषयों पर शासन को सलाह देना।
- राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा इसके लिये नीतियाँ तैयार करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना तथा उनकी सूची संधारित कर इच्छुक व्यक्तियों/हितार्थियों की सूची पत्र का संधारण कर चाहने वालों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करवाना।
- शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये विभागीय कार्यक्रमों/नियमों में परिवर्तन करने में मदद करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बहुउद्देशीय अभिनव परियोजनायें प्रारंभ करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयक का कार्य करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं तथा पंचायत राज्य संस्थाओं में प्रबंधन सहभागिता तथा संवाद की क्षमता को बढ़ाने, विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा विकास के विभिन्न मुद्दों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु एक कोष की स्थापना कर अनुदान उपलब्ध करवाना।
- उपयुक्त तकनीक, सामुदायिक नेतृत्व, सहभागिता, प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्रों में अभिनवता को प्रोत्साहित करना।
- परिषद् द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही राज्य, केन्द्र व अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव एवं मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण तथा अध्ययन आयोजित करना।
- विकास से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार, कार्यशाला और संगोष्ठियाँ आयोजित करना।

4. परिषद् में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार अद्यतन सूची :-

कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार अद्यतन सूची
म.प्र. जन अभियान परिषद्

क	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
1	निदेशक प्रशासन	1	0	1
2	क्षेत्रीय निदेशक	1	0	1
	निदेशक परियोजना सेल	1	0	1
	निदेशक एन.जी.ओ. सेल	1	1	0
3	निदेशक क्षमता निर्माण सेल	1	0	1
	निदेशक मूल्यांकन सेल	1	0	1
4	उप निदेशक, प्रशासन	1	0	1
	उप निदेशक, प्रकाशन (जनसंपर्क)	1	0	1
	टास्क मैनेजर (परियोजना सेल)	3	0	3
	टास्क मैनेजर (एन.जी.ओ. सेल)	3	2	1
5.	टास्क मैनेजर (प्रशिक्षण. सेल)	3	2	1
	टास्क मैनेजर (क्षमता मूल्यांकन सेल)	3	1	2
6	पुस्तकालय प्रबंधक (लाइब्रेरियन)	1	0	1
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	1	0
8	लेखाधिकारी	1	1	0
9	अन्वेषक	1	0	1
10	स्टेनो	1	1	0
11	सहायक ग्रेड-1	1	1	0
12	सहायक ग्रेड-2	1	1	0
13	सहायक ग्रेड-3	1	1	0
14	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	1	0
15	कम्प्यूटर ऑपरेटर डिजाईनर	2	1	1
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	1	1
		2	2	0
17	कम्प्यूटर ऑपरेटर (सेल)	1	1	0
		1	1	0
		2	2	0
18	लेखापाल	1	0	1
		1	0	1
	योग	41	21	20

संभाग/जिला कार्यालय

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
		3	1	2
		1	0	1
1	संभाग समन्वयक	1	0	1
		1	1	0
		1	0	1
	योग	7	2	5
		18	14	4
		7	4	3
		5	2	3
2	जिला समन्वयक	2	3	-1
		6	4	2
		2	1	1
		7	2	5
		3	1	2
	कुल	50	31	19
		110	104	6
		47	43	4
		31	30	1
3	ब्लॉक समन्वयक	13	12	1
		35	37	-2
		15	11	4
		43	43	0
		19	15	4
	योग	313	295	18
		3	3	0
		1	0	1
1	लेखापाल	1	1	0
		1	1	0
		1	1	0
	योग	7	6	1
		3	2	1
		1	1	0
2	लिपिक	1	1	0
		1	1	0
		1	1	0

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
	योग	7	6	1
		17	17	0
		8	7	1
		5	5	0
13	लेखापाल सह लिपिक	3	2	1
		6	6	0
		2	1	1
		6	0	6
		3	0	3
	योग	50	38	12
		19	19	0
		9	9	0
		6	6	0
14	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2	0
		7	7	0
		3	3	0
		8	2	6
		3	1	2
	योग	57	49	8
	कुल योग	532	448	84

म.प्र. जन अभियान परिषद में सलाहकारों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद	नियुक्ति दिनांक
1	सलाहकार (सामाजिक)	1	1	0	26.12.2013 से 1 वर्ष के लिये
2	सलाहकार (विधि)	1	0	1	

- जिला समन्वयकों के कुल 50 पदों में से 31 पद भरे हैं तथा 19 ब्लाक समन्वयकों को प्रभार दिया गया है।
- संभाग समन्वयकों के कुल 07 पदों में से 02 पद भरे हैं तथा 05 जिला समन्वयकों को प्रभार दिया गया है।

परिषद् की योजनायें :-

परिषद् द्वारा निम्नानुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है :-

1. दृष्टि -

राज्य की समस्त पंजीबद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन कर उनकी "ताकत कमजोरियों व अवसरों" का मूल्यांकन उनके कार्यालय, मैदानी कार्य, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। इस मूल्यांकन के आधार पर संस्थाओं का प्रत्याययन (Accreditation) किया जायेगा। यह प्रत्याययन शासन के विभिन्न विभागों को उनके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में भागीदारी हेतु प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएँ उपलब्ध कराने का आधार बनेगा।

वर्तमान में प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के प्रत्याययन हेतु प्रक्रिया, मापदंड एवं प्रारूप का निर्धारण किया जाकर मध्यप्रदेश स्वैच्छिक संगठन प्रत्याययन अधिनियम (The Madhya Pradesh Voluntary Organization Accreditation Council Bill) को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

2. नवांकुर -

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं का उन्मुखीकरण एवं सशक्तिकरण करना है ताकि वे स्थानीय विकासात्मक कार्यों में अपना सहायोग दे सकें। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पंजीकृत होने वाली संस्थाओं में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हांकित कर उनमें से प्रत्येक वर्ष विकासखण्ड स्तर पर एक, जिला मुख्यालय पर एक, संभाग मुख्यालय पर तीन, राजभों संभागीय मुख्यालय पर पाँच, राज्य की राजधानी में दस, नवांकुरित संस्थाओं का चयन कर उनकी रूची, क्षमता व क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय आवश्यकताओं को देखते हुये इन संस्थाओं को प्रथम वर्ष पचास हजार, द्वितीय वर्ष में एक लाख एवं तृतीय वर्ष में दो लाख का पोषण किया जायेगा। इस साहयता का उपयोग स्वयंसेवी संगठनों के क्षमतावर्द्धन, सशक्तिकरण तथा "आओ बनाये अपना स्वर्णिम मध्यप्रदेश अभियान" अंतर्गत चिन्हांकित नौ विषयों यथा सबके लिये शिक्षा, सबके लिये स्वास्थ्य, नशामुक्ति, हरियाली/पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, समग्र स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि के क्रियान्वयन पर उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु किया जायेगा।

योजना अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 हेतु कुल 2333 नवांकुर संस्थाओं का चयन एवं वित्तीय पोषण किया गया है।

3. संवाद -

स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विकास कार्यों के दौरान सामूहिक प्रक्रियाओं को परस्पर बांटने, विकास की रणनीतियों में आ रहे व्यवधानों को चिन्हित करने तथा विकास की

प्रक्रिया को गति देने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को साझा करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ संवाद, संचार, अभिप्रेरणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला, विकासखण्ड स्तर पर बैठकें, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रावधानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं –

- समस्त सातों संभागों में संभाग स्तरीय नवांकुर संस्थाओं के साथ 09 संभाग स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 50 जिलों में जिला व विकासखण्ड स्तरीय नवांकुर संस्थाओं के साथ 93 जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 313 विकासखण्डों में प्रस्फुटन समितियों के साथ विकासखण्ड स्तरीय 1442 बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 07 संभागों में शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ संभाग स्तरीय समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 50 जिलों में शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ 13 जिला स्तरीय समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के समस्त जिलों में शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ जिला स्तरीय जिला जन अभियान समिति की बैठक प्रभारी मंत्री/उपाध्यक्ष/कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 बैठकों का आयोजन किया गया।

4. समृद्धि –

स्वयंसेवी संस्थाओं तथा परिषद के कार्यकर्ताओं की क्षमता का आंकलन कर उनकी क्षमतावृद्धि हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/अध्ययन भ्रमण/शोध कार्य आयोजित करना तथा विभिन्न स्तरों पर पारितोषिक आदि प्रदान किया जाना प्रावधानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं:-

- प्रदेश के 313 विकासखण्डों में प्रस्फुटन समितियों के 951 विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- संभाग, जिला व विकासखण्ड स्तरीय नवांकुर संस्थाओं एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों हेतु 50 जिला स्तरीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।
- जिला/विकासखण्ड समन्वयकों हेतु 10 संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सह बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रस्फुटन समिति के सदस्यों तथा ज.अ.प. के मैदानी कार्यकर्ताओं को अन्य स्वैच्छिक संगठनों/समाज सेवियों द्वारा किये जा रहे अनुकरणीय कार्यों का क्षेत्र में अध्ययन हेतु अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है।

5. विस्तार –

समसामयिक एवं स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को चिन्हित कर स्थानीय समूह की जागरूकता व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना, आम जन को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु

हितग्राहियों के चयन में शासन का सहयोग करना तथा, ग्रामीण, शहरी एवं सामाजिक विकास से संबंधित विषयों जैसे— शिक्षा, स्वास्थ्य, नशामुक्ति, हरियाली/पर्यावरण संरक्षण, जलसंरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि पर समुदाय में जागरूकता लाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्य करना। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जन सूचना केन्द्र संचालित करना, लोगों को जागरूक करने हेतु उन्हें प्रचार-प्रसार साहित्य एवं अन्य मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से जानकारीयों उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गई :-

1. म.प्र. जन अभियान परिषद् की संरचना, आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, कार्य, भावी, योजनाओं एवं महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन अभियान परिषद् की वेबसाइट www.mpjap.org का संचाल किया जा रहा है।
2. शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रति विकासखण्ड 5 जन सूचना केन्द्रों के मान कुल 1,565 जन सूचना केन्द्र निर्मित।
3. राज्य स्तर पर जन कल्याणकारी/शासकीय योजनाओं एवं जनोपयोगी तकनीकी जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु लीफ-लेट, ब्रोशर, फोल्डर आदि साहित्य एवं लघु फिल्म एवं परिषद् के वृत्तचित्र का निर्माण।
4. योजनांतर्गत शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जनोपयोगी तकनीकी जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु लीफ-लेट, फोल्डर एवं साहित्य आदि हेतु समस्त जिलों में राशि रु. 10 हजार के मान से राशि रु. 20.00 लाख आवंटित किये जा चुके हैं।
5. प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 प्रस्फुटन ग्रामों में संस्कार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से कुल 1,565 लक्ष्य के विरुद्ध 2,993 संस्कार केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
6. योजनांतर्गत परिषद् की वित्तीय वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना अनुसार मुख्यमंत्री राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार वर्ष 2013-14 के वितरण हेतु प्रक्रिया जारी है।

6. प्रस्फुटन -

किसी भी गाँव/नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विकास पुरुष स्थानीय न हो। प्रत्येक गाँव व नगर में ऐसे लोग होते हैं जो स्वावलंबन कि दिशा में कार्य करते हैं। समाज कि इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखंड में 10 नये गाँवों/नगरी क्षेत्रों का चयन किया जायेगा। गाँव/नगर में चिन्हित व चयनित सक्रिय समूह को 3 वर्षों के लिये प्रतिवर्ष रु. 10 हजार (एक मुश्त) दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्रामों/नगरों में स्वैच्छिकता का भाव विकसित होकर सक्रिय समूह स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे।

- योजनांतर्गत प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 हेतु प्रतिवर्ष 10-10 प्रस्फुटन समितियों के चयन के मान से कुल 18424 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा विकासखंड मुख्यालय/नगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु कुल 306 नगर विकास प्रस्फुटन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा स्वैच्छिकता एवं सहभागिता के आधार पर ग्राम/नगर में स्वावलंबन हेतु विभिन्न

गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत गाँवों/नगरों के सक्रिय, जागरूक तथा क्षमतावान् व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक एवं सामूहिक आधार पर श्रम दान एवं स्वयं के आर्थिक स्रोतों से “आओं बनाये अपना मध्यप्रदेश” कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हांकित 9 विषयों यथा सबके लिये शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, उर्जा संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ सफाई, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि विषयों पर कार्य किये जा रहे हैं।

- प्रदेश भर की प्रस्फुटन समितियों द्वारा उर्जा संरक्षण विषय के अन्तर्गत 10 ग्रामों को 100 प्रतिशत सी.एफ.एल. ग्राम बनाया गया है वहीं 268 बायोगैस संयंत्रों/उन्नत चुल्हों की स्थापना की गयी है। जल संरक्षण विषय के अन्तर्गत प्रदेश भर में 794 बोरी बंधान, 742 तालाब गहरीकरण, 1320 कुओं का गहरीकरण का कार्य किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य विषय के अन्तर्गत 81 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 15189 बच्चों का शाला में प्रवेश दिलाया गया साथ ही 335 संस्कार केन्द्र/पाठशालायें भी स्थापित की गयी। नशामुक्ति अभियान के अन्तर्गत 94 ग्रामों को पूर्णतः शराब मुक्त किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु 310212 पौधों का रोपण किया गया। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 6492 शौचालयों का निर्माण एवं 5166 सोखता गढ़ों का निर्माण किया गया।